न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 19/2019 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 17.01.2019
निर्णय दिनांक– 12.07.2019

श्री प्यारा पिता फकीरा मेघवाल निवासी गोठड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता गणेश मेघवाल निवासी गोठड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. श्री गोपाल पिता गणेश मेघवाल निवासी गोठड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
3. जसोदा पुत्री गणेश मेघवाल निवासी गोठड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
4. भगवानी बाई पत्नी मेघवाल निवासी गोठड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री नरेश जणवा : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अनुराग ओझा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 ब राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी
के प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 22.06.2018

निर्णय

दिनांक– 12.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी के प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध दिनांक

17.01.2019 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बरेखन ग्राम पंचायत गागरोल के नामान्तरकरण संख्या 117 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की कि ग्राम बरेखन की विवादग्रस्त भूमि उसके दादा श्री भूरा पिता ऊँकार चमार निवासी गोठड़ा द्वारा अपने जीवनकाल में खरीदी थी, जो उनकी स्वअर्जित सम्पति थी। श्री भूरा की मृत्यु के बाद श्री फकीरा द्वारा गलत तथ्य बता कर अकेले ही राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर भूरा की सम्पति में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया, जबकि भूरा का एक मात्र पुत्र गणेश था। भूरा के अलावा गणेश के अन्य कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। प्यारा पिता फकीरा भूरा जी के भाई फकीरचन्द का लड़का था, जबकि अपीलान्ट के पिता व पति गणेश उनके एक मात्र वारीस था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22–06–2018 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 18.04.1991 में से 1/2 हिस्से में अंकित प्यारा का नाम विलोपित कर समस्त खाता गणेश के नाम पर दर्ज करने कं आदेश पारित किये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.06.2019 को अपीलान्ट का आवेदन स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दफा 151 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की पालना करवाये जाने के आवेदन की भी नकल रेस्पोडेन्ट को दिलवाई गई। बहस दिनांक 04.07.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा रिबटल में दस्तावेजात पेश किये गये।

प्रकरण में दिनांक 27.06.2019 को पेश शुदा दफा 151 जा.दी. के आवेदन पर दिनांक 04.07.2019 को उभय पक्ष को सुना गया, तो यह पाया गया कि अपीलान्ट का आवेदन में उसने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम बहस भी सुन ली गई है। अतः अब उक्त आवेदन पर निर्णय अप्रासंगिक

(Infructous) हो जाने से अब इस आवेदन पर निर्णय किया जाना उपादेय ही नहीं है,क्योंकि प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाकर प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु सूचीबद्ध है।

अपीलान्ट की ओर से श्री नरेश जणवा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अनुराग ओझा अधिवक्ताओं की दिनांक 04.07.2019 को बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौहाने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम पेशी पर ही अपीलान्ट का सम्मन तामील होना माना, जिस पर रिपोर्ट थी कि प्यारा पिता फकीरा मेघवाल घर पर नहीं मिलने से प्यारा के मकान पर चस्पा की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तामील मानी गई, जबकि विधि मे प्रथम तया तामील व्यक्तिशः देय है और उसके बाद वह नहीं मिलता है तो उसके व्यवसायिक स्थान या उसके आबाद मकान पर चस्पा की जाती है, जिसमें संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर के साथ पूर्ण पता अंकित करना होता है। उक्त तामील में तो वेग आधारों पर रिपोर्ट की गई है कि मकान खुला था या बन्द था, इस आशय की भी कोई रिपोट्र अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का निर्णय करने में तटस्थ नहीं था क्योंकि पत्रावली दिनांक 05–06–2018 को पेश हुई जबकि अपील मेमो में दिनांक 08.06.2018 अंकित कर रखी है, जिससे स्पष्ट है कि अपील मेमों बनने से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हो नोटिस जारी करने का आर्डर बिना जांच किये बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये जारी कर दिया गया एवं जिस पर दिनांक 19.06.2018 को जांच रिपोर्ट होकर पेश होना अंकित कर रखा है और नोटिस भी उसी दिन तामील होना अंकित कर रखा है और दिनांक 22.06.2018 को केम्प में निर्णय कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया। इस प्रकार रिपोर्ट होने के तीन दिन के अन्दर–अन्दर तथा पत्रावली पेश होने से 15 दिन के अन्दर–अन्दर प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की जांच निष्पक्षता पूर्वक नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक सिद्धान्तों को ताक में रखकर मन मकसूद तरीके से विधि की घोर उपेक्षा कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। अगर अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को सुनने का पूरा अवसर देते तो ऐसा निर्णय पारित नहीं करते, क्योंकि भूरालाल व प्यारा चचेरे भाई थे। ऊॅकार एवं फकीरा दोनो सगे भाई थे और ऊॅकार बड़ा होने से खेती की जमीन सभी उसके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा जो भी सम्पति खरीदी गई व बेची गई, वह ऊॅकार के नाम से ही बेची गई थी और मौके पर भाई बंटवाड़े अनुसार काबिज होकर पिछले 50–60 वर्षों से अधिक

समय से काश्त कर रहे है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में जरूर ऊॅकार के नाम दर्ज थी, किन्तु मौके पर 1/2 भाग पर फकीरा एवं फकीरा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्यारा काश्त कर रहे है। खसरा गिरदावरी 2029–32 तथा उक्त आराजी पर दोनों भाईयों ने मिलकर जो कुआ खोदा है, जिसमें दापड़े में उसके नीचे जो पत्थर लगाकर भूरा व फकीरा का नाम अंकित कर रखा है और संवत् 2022 में कुआ खोदने की बाबत अंकित कर रखी है। प्यारा एवं भूरा के मध्य एक लिखित पारिवारिक समझौता पत्रक 14.02.1984 निष्पादित किया हुआ है, जिसके अनुसार ही भूमि पर प्यारा आधी भूमि पर एवं भेरा आधी भूमि पर काबिज है और परिवार के अन्य शर्तें अंकित कर रखी है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पेतृक भूमि है और पेतृक भूमि होने से ग्राम पंचायत द्वारा लिखित एवं अन्य साक्ष्य, सबूतों पर विश्वास कर दोनों चचरे भाईयों के नाम से उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। भूरा द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी इस नामान्तरकरण को चेलेन्ज नहीं किया गया। भूरा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों द्वारा जमीनों की कीमते बढने एवं नियत में फितुर आने से उक्त नामान्तरकरण को चेलेन्ज किया और जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी तथा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो विधिक एवं कानूनी भूल है। उक्त नामान्तरकरण से भूरा भलीभांति सहमत था, क्योंकि भूरा ने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम के आगे चमार अंकित हो गया था, जिसे दुरूस्त करवा उसे मेघवाल दर्ज करवाया था, यह नहीं माना जा सकता कि भूरा को उक्त बात की जानकारी नहीं हो कि 1/2 भूमि प्यारा के नाम से गलत दर्ज है। उक्त बात की जानकारी भूरा तथा भूरा के पुत्रों को भी थी क्योंकि उन्होंने भी अपीलान्ट एवं उसके पुत्र के पक्ष में अपासी समझौता नामा दिनांक 16.04.2018 को निष्पादित किया तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने मिलकर दिनांक 13.04.2018 को बंटवाड़ा हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार छोटीसादड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया एवं बंटवाड़े के अनुसार भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम अलग–अलग दर्ज कर दी। अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि उनको जानकारी दिनांक 13.04.2018 को हुई, जबकि यह तथ्य रेकार्ड से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि उसे सुनवाई का अवसर देता तो यह सभी तथ्य उनके सामने आते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये निर्णय पारित किया, जो विधिक व कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपने अभिकथन की पुष्टि हेतु न्यायिक नजीरे–

1. आरआरटी 2010 (2) पेज 1222, आरआरटी 2010(1) पेज 625, आरआरडी 14.02.2016 पेज 96, आरआरटी 2018 (2) पेज 879– विलम्बित नामान्तरकरण अपील पर वाद से ही राहत दी जा सकती है।

2. आरआरडी 1999 पेज 152, आरआरडी 1990 पेज 545, आरआरटी 2007 (2) पेज 939– अत्यधिक विलम्ब शमन नहीं किया जा सकता।

3. आरआरटी 2012 पेज 1250– विभाजन के बाद नामान्तरकरण को चुनोती नहीं दी जा सकती।

पेश की। उपरोक्त सभी अनुरोध के साथ अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपील में पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाय।

इसके विरूद्ध अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में मौलिक बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश शुदा दस्तावेजात से पूरी तरह स्पष्ट था कि विवादित आराजीयात भूरा वल्द ऊँकार के समय की थी तथा उसकी क्रय शुदा भूमियां थी। मूल नामान्तरकरण के निर्णय के समय प्यारा द्वारा स्वयं को भूरा का पुत्र बताते हुए आवेदन कर नामान्तरकरण का निर्णय करवाया, जबकि वह भूरा का पुत्र नहीं होकर फकीरा का पुत्र था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्यारा के राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान कार्ड, बीपीएल सूची की प्रविष्टि, बिजली का बिल, 1988, 1993, 2012, 2018 की मतदाता सूचियों से यह स्पष्ट होता है कि प्यारा भूरा का पुत्र नहीं होकर फकीरा का पुत्र था तथा उसने त्रुटिपूर्ण रूप से झूठे तथ्य बताकर स्वयं आवेदन कर स्वयं को भूरा का पुत्र बताते हुए भूरा से स्वयं के नाम विरासत खुलवा ली। अपील में रिबटल में उसके द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात में उसके द्वारा दिनांक 07.06.1990 का प्यारा द्वारा पेश शुदा आवेदन जिसमें उसने गणेश व स्वयं को भूरा का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन किया है। गोपाल द्वारा एफआईआर संख्या 81 दिनांक 06.04.2019 को दफा 420 आईपीसी भी प्यारा पिता फकीरा के विरूद्ध पेश कर रखी है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में (रेस्पोडेन्ट द्वारा) उन्हें इस नामान्तरकरण में प्यारा द्वारा झूठा तथ्य प्रस्तुत करने की जानकारी होते ही उन्होंने अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा जो समझौते जो प्रस्तुत किये गये, उनमें कहीं भी प्यारा के भूरा के पुत्र होने की प्रमाणन साक्ष्य नहीं है। समझौते/ईकरारनामें राजस्व न्यायालयों से क्रियान्वयन नहीं हो सकते। झूठे तथ्यों पर कभी भी मियाद लागू नहीं होती।

विभाजन का वाद भी धोखाधड़ी पूर्वक अपीलान्ट द्वारा करवाया गया। प्रारम्भतः तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण व धोखाधड़ी से करवाये गये नामान्तरकरण की कोई विधिकता नहीं होती। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपील निर्णय सही होने से वर्तमान अपील को खारिज किया जाय।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपान्त अवलोकन कर कथनोपकथन, दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस पर मनन किया, तो यह पाया कि प्रकरण मे यह स्थिति सुस्पष्ट है कि प्यारा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.6.1990 को राजस्व अभियान के दौरान एक आवेदन पेश किया कि वह भूरा का पुत्र है तथा उसके एक अन्य छोटा भाई गणेश भी है तथा निवेदन किया कि भूरा की विरासत का इन्तकाल प्यारा को भूरा का पुत्र होने के कारण तथा उसके अन्य पुत्र गणेश के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाये। इस आवेदन के आधार पर बिना गणेश को सुने नामान्तरकरण संख्या 117 से भूरा की विरासत का इन्तकाल प्यारा व गणेश के नाम से सरपंच द्वारा निर्णित कर दिया गया। प्रकरण में पेश शुदा वर्ष 1988 से लेकर आदिनांक तक की मतदाता सूचिया, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, विद्युत बिल, बीपीएल सूची व अन्य दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्यारा भूरा का पुत्र नहीं होकर फकीरा का पुत्र है। प्यारा स्वंय द्वारा भूरा का पुत्र क्लेम करते हुए भूरा की विरासत प्राप्त की गई जबकि वह फकीरा का पुत्र होना प्रमाणित है तथा उसके स्वंय के द्वारा भी इससे निषेध नहीं किया गया है। न्यायालय को इस बाबत कदापि संदेह नहीं है कि प्यारा द्वारा भूरा का पुत्र होते हुए गलत व झूठे तथ्य पेश कर भूरा की विरासत प्राप्त की गई जबकि वह निसंदेह रूप से फकीरा का पुत्र है। हम इस दृढ़ विधिक मान्यता के है कि गलत व नितान्त झूठे तथ्य देकर/ लिखित रूप से देकर, विधिक प्राधिकारियों को असत्य तथ्य बताकर प्यारा अपीलान्ट द्वारा भूरा की विरासत स्वंय को पुत्र बताकर प्राप्त की गई है जबकि वह प्रमाणित रूप से फकीरा का पुत्र है। ऐसे असत्य व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नामान्तरकरण जो कि कदापि विधिक नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की मियाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता एवं ऐसे अविधिक व झूठे तथ्यों के आधार पर जो कि अपीलान्ट स्वंय प्रस्तुत करता है, अपीलान्ट को ऐसे असत्य तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नामान्तरकरण में मियाद का फायदा दिया जाना गलती पर पुरस्कार तुल्य होगा। अपीलान्ट द्वारा मियाद बाबत उठाया गया उजर समायत योग्य नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के अवसर का जहां तक प्रश्न है, हालांकि तामिल की विधिकता पर विवेचन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अपील स्तर पर अपीलान्ट को

अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो चुका है। तामिल के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा रेकार्ड के आधार पर तार्किक निर्णय पारित किया है। वर्तमान अपील में उन तथ्यों को खारीज किये जाने योग्य कोई प्रभावी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में जो सहमति या इकरार नामा प्रस्तुत किये गये है उनसे कदापि अपीलान्ट प्यारा के भूरा के पुत्र होने का प्रमाणन नहीं होता तथा इकरार नामों/ अपंजीकृत सहमति के आधार पर स्वत्व अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। प्रकरण में जहां तक सहमति विभाजन का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट द्वारा सुस्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से अवगत करवाया है कि उन्हें संबंधित नामान्तरण जिसमें प्यारा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया गया है, कि जानकारी सहमति विभाजन के बाद हुई है। तद्नुसार सहमति विभाजन इस प्रकरण में विबन्धन नहीं करता। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वंय गलत तथ्य पेश कर नामान्तरकरण खुलवाया गया है अतः ऐसे गलत एवं विधि विरूद्ध नामान्तरण के लिये वास्तविक हक धारियों को अनावश्यक वादकरण में नहीं ढकेला जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार हम अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज करते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर